पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 11.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

"मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति फेज- 05" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 11.02.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 10.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के रामजानकी मंदिर के पूर्व तालाब के किनारे ग्राम महोबकंठ के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.भोली विश्वकर्मा पुत्र रामप्रसाद उम्र 40 वर्ष 2.रमाकान्त राजपूत पुत्र भानुप्रताप उम्र 23 वर्ष 3.निरपत धोबी पुत्र बालादीन उम्र 49 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम परारजौनी (परावारी) थाना महोबकंठ जनपद महोबा को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से मालफड़ 1000 रुपये, जामातलाशी 560 रूपये कुल 1560 रूपये व 52 अदद ताशपत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 27/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह
2. कां0 विजय निरंकारी, 3.कां0 नितिन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.भोली विश्वकर्मा पुत्र रामप्रसाद उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम परारजौनी (परावारी) थाना महोबकंठ जनपद महोबा

2.रमाकान्त राजपूत पुत्र भानुप्रताप उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम परारजौनी (परावारी) थाना महोबकंठ जनपद महोबा

3.निरपत धोबी पुत्र बालादीन उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम परारजौनी (परावारी) थाना महोबकंठ जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

महाकुम्भः 2025 के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध प्रचलित अभियानों के तहत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में दिनांक- 10.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब त्रिपाठी द्वारा गठित की गयी उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के सिलालपुरा नेकपुरा तिराहे पर बंबा पर बनी पुलिया बहद ग्राम बराना के पास से एक नफर अभियुक्त सचिन राजपूत पुत्र हरि सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी नेकपुरा जनपद महोबा को रोका गया जिसकी जामा तलाशी पर अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त के विरुद्ध थाना पनवाड़ी में मु0अ0सं0- 32/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 संजय सिंह थाना पनवाडी जनपद महोबा
2. का0 करन जयसवाल थाना पनवाडी जनपद महोबा
3. का0 गौरव सबिता थाना पनवाडी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त –

सचिन राजपूत पुत्र हरि सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी नेकपुरा जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।

@MahobaPolice

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

ऑपरेशन मुस्कान- घर से नाराज होकर चली आयी 12 वर्षीय बच्ची के परिजनों का पता लगाकर किया सुपुर्द, लौटी खुशियां...।

नाराज होकर घर से बिना बताए चली आयी 12 वर्षीय बच्ची को थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये बच्ची के परिजनों का पता लगाकर सकुशल उनके सुपुर्द किया गया है-

दिनांक- 10.02.2025 को जनपद महोबा के थाना श्रीनगर क्षेत्र के बिलरही तिराहा कस्बा श्रीनगर में लावारिश हालत में 12 वर्षीय बच्ची मनीषा पुत्री छोटेलाल निवासी ग्राम टीला थाना नौगाव जनपद छतरपुर म0प्र0 की सूचना पर थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर उसके परिजनों के बारे में जानने का प्रयास किया गया। बच्ची ने बताया कि वह अपने घर से नाराज होकर निकली है, जिसकी नानी श्रीनगर में रहती है, जिस पर थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा अथक प्रयास व तत्परता से बच्ची की परिवारीजन नानी श्रीमती अनीता पत्नी कालीचरन निवासी ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा की जानकारी की गयी व बच्ची को सकुशल सुपुर्द किया गया है।

बच्ची के परिवारीजनो को खोजबीन करने वाली श्रीनगर टीमः-

1. निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्रा SHO थाना श्रीनगर
2. उ 0नि0यूटी निकिता शुक्ला3. म संगीता 0का0

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही-

थाना खरेला की पुलिस टीम ने 03 पेटी (144 क्वार्टर) देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 10.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना खरेला प्रभारी निरीक्षक श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय मय हमराह का0 धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र के पुन्निया रोड़ के पास से अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह पुत्र हरचरन उम्र 32 वर्ष नि0 ग्राम बसौठ थाना खरेला जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से एक प्लास्टिक की बोरी के अन्दर 03 पेटी में कुल 144 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद की गयी है। इस बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरेला में मु0अ0सं0 10/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

1. वअरव 0उ0नि0िन्द कुमार उपाध्याय
2. का0 धर्मेन्द्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

राघवेन्द्र सिंह पुत्र हरचरन उम्र 32 वर्ष नि0 ग्राम बसौठ थाना खरेला महोबा।

बरामदगी-

एक प्लास्टिक की बोरी के अन्दर 03 पेटी में कुल 144 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद

थाना अजनर की पुलिस टीम ने मुकदमें से संबंधित 04 नफर वारण्टी व 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

महाकुम्भ- 2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 11.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी व उ0नि0 आकाश मौर्य के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 04 नफर अभियुक्त क्रमशः 1.अ0स0 241/22 धारा 323/504 भादवि0 सी0पी0 न0 16487/23 के वारण्टी अभियुक्त बबलू अहिरवार पुत्र स्व0 रघुपत अहिरवार उम्र करीब 32 वर्ष नि0 ग्राम बिजौरी थाना अजनर को ग्राम बिजौरी से 2.अ0स0 144/22 धारा 60 आब0 अधिनियम सी0पी0 न0 4354/23 के वारण्टी अभियुक्त अशोक राजपूत पुत्र श्यामलाल राजपूत उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ग्राम बिजौरी थाना अजनर को ग्राम बिजौरी से 3.अ0स0 13/16 धारा 324/504/506 भादवि0 सी0पी0 न0 3509/21 के वारण्टी अभियुक्त कैलाश पुत्र प्रभुदयाल उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ग्राम आरी थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम आरी से 4.अ0स0 13/16 धारा 324/504/506 भादवि0 सी0पी0 न0 3509/21 के वारण्टी अभियुक्त मुकेश पुत्र स्व0 हल्काई उम्र करीब 34 वर्ष नि0 ग्राम आरी थाना अजनर महोबा को ग्राम आरी से गिरफ्तार किया गया है।

इसी क्रम में उ0नि0 ऋषि शुक्ला के नेतृत्व में द्वितीय पुलिस टीम ने थाना अजनर में पंजीकृत मु0अ0स0 246/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/117(3) बी0एन0एस0 में वाँछित एक नफर अभियुक्त पुष्पेन्द्र राजपूत पुत्र इन्द्रपाल उम्र करीब 29 वर्ष नि0 ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के दुर्गा माता मंदिर तिराहा के पास ग्राम मगरिया से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारशुदा वारण्टी एवं वांछित अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

(प्रथम टीम) 1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी 2. उ0नि0 आकाश मौर्य

(द्वितीय टीम) 1. उ0नि0 ऋषी शुक्ला 2. का0 धीरज कनौजिया

गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्तगण -

1. बबलू अहिरवार पुत्र स्व0 रघुपत अहिरवार उम्र करीब 32 वर्ष नि0 ग्राम बिजौरी थाना अजनर, महोबा।
2. अशोक राजपूत पुत्र श्यामलाल राजपूत उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ग्राम बिजौरी थाना अजनर महोबा।
3. कैलाश पुत्र प्रभुदयाल उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ग्राम आरी थाना अजनर जनपद महोबा।
4. मुकेश पुत्र स्व0 हल्काई उम्र करीब 34 वर्ष नि0 ग्राम आरी थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त -

पुष्पेन्द्र राजपूत पुत्र इन्द्रपाल उम्र करीब 29 वर्ष नि0 ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

SPEL (स्टूडेंट पुलिस एक्सप्रिएन्शल लर्निंग प्रोग्राम) के तहत चयनित छात्र-छात्राओं को "साइबर अपराध" के बारे में दी गई विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारी –

पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा "श्री पलाश बंसल" के निर्देशन में आज दिनांक- 11.02.2025 को भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग के तत्वाधान में आयोजित हो रहे Student Police Experiential Learning (SPEL) प्रोग्राम के तहत थाना कोतवाली नगर महोबा में वीर भूमि डिग्री कालेज, महोबा से प्रशिक्षण हेतु चयनित छात्र/छात्राओं को म0उ0नि0 शिबांगी गुप्ता व कम्प्यूटर ऑपरेटर अभिषेक वर्मा द्वारा इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के बारे में छात्र/छात्राओ को जागरूक किया गयाहै।

आजकल इंटरनेट का उपयोग हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ-साथ यह कई खतरों और सुरक्षा समस्याओं का सामना भी कराता है। साइबर अपराध, डेटा चोरी, हैकिंग, और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा और जागरूकता बेहद जरूरी है, साइबर जागरूकता का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना। आजकल इंटरनेट का उपयोग हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ-साथ यह कई खतरों और सुरक्षा समस्याओं का सामना भी कराता है। साइबर अपराध, डेटा चोरी, हैकिंग, और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा और जागरूकता बेहद जरूरी है।

साइबर जागरूकता के प्रमुख बिंदु:-

1. सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करें- अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। पासवर्ड में अक्षरों, संख्याओं और विशेष प्रतीकों का मिश्रण हो। पासवर्ड को दूसरों से साझा न करें और नियमित रूप से बदलते रहें।
2. फिशिंग ईमेल और लिंक से सावधान रहें- कभी भी अनजान या संदिग्ध ईमेल, लिंक या अटैचमेंट्स पर क्लिक न करें। साइबर अपराधी अक्सर फिशिंग के जरिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने की कोशिश करते हैं।
3. सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें- पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय संवेदनशील जानकारी जैसे बैंकिंग और पासवर्ड आदि साझा करने से बचें। घर पर सुरक्षित वाई-फाई का उपयोग करें।
4. सोशल नेटवर्क पर सावधानी बरतें- सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सावधानी रखें। अपनी सुरक्षा और गोपनीयता सेटिंग्स को सही से कॉन्फ़िगर करें, ताकि कोई आपकी जानकारी का गलत उपयोग न कर सके।
5. सॉफ़्टवेयर अपडेट रखें- अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पर नियमित रूप से सॉफ़्टवेयर अपडेट करें, ताकि वे सुरक्षा की नवीनतम प्रणालियों से सुरक्षित रहें।
6. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्क रहें- जब भी ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग करें, तो सुनिश्चित करें कि वेबसाइट का URL "https://" से शुरू हो और एक सुरक्षित कनेक्शन हो।
7. साइबर अपराध की रिपोर्ट करें- यदि आपको किसी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, या साइबर अपराध का सामना होता है, तो साइबर हेल्प लाइन न0 1930 अथवा CYBERCRIME.GOV.IN पर शिकायत दर्ज करे व साइबर हेल्प डेस्क कोतवाली नगर महोबा या साइबर पुलिस थाना पुलिस लाइन महोबा में तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
8. साइबर सुरक्षा का महत्व:- साइबर सुरक्षा का उद्देश्य ऑनलाइन डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखना है। यह आपकी व्यक्तिगत जानकारी को अनधिकृत उपयोग से बचाता है और आपके डिजिटल जीवन को सुरक्षित करता है। साइबर जागरूकता बढ़ाने से हम इन खतरों से बच सकते हैं और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद और दूसरों को भी साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करें।

इस दौरान म0उ0नि0 शिबांगी गुप्ता व कं0ऑ0 अभिषेक वर्मा द्वारा अध्ययनरत छात्रों को जागरुक करते हुए साइबर सुरक्षा/अपराध के विषय में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं छात्र /छात्राओं के प्रश्नों के उत्तर दिये गये।